

भारत सरकार  
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद,  
9<sup>वीं</sup> मंजिल, 'डी' ब्लॉक आयकर शिखर,  
ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004  
टेलिफैक्स: 040-23425467



GOVERNMENT OF INDIA  
Office of the  
Pr. Chief Commissioner of Income Tax  
9<sup>th</sup> Floor, 'D' Block, IT Towers,  
AC Guards, Hyderabad-500004,  
Telefax: 040-23425467

फा.सं. प्रमुआआ/हैद./रा.भा./19/वा.का./2023-24

दिनांक: 27 .04.2023.

सेवा में/To,  
आंध्र प्रदेश व तेलंगाना प्रभार के सभी कार्यालय प्रधान  
All the Heads of Offices in Andhra Pradesh and Telangana Charge

महोदय/महोदया/  
Sir/Madam,

विषय: 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य ।

Sub : Target fixed in the Annual Programme for the year 2023-24.

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आयकर विभाग के कार्यालयों में राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य संबंधी वार्षिक कार्यक्रम की प्रति अनुपालन के लिए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है ।

On the subject cited above, I am directed to request you that a copy of the Annual Programme regarding the targets for the year 2023-24 for the proper implementation of Official Language Policy in respect of offices of the Income Tax Department is enclosed for your information and necessary action.

भवदीय/Yours faithfully,

संलग्नक /Encl: यथोपरि/As above

(सुनील कुमार विभूते/ Sunil Kumar Vibhute)

सहायक निदेशक (राजभाषा)(प्रभारी)

Assistant Director (OL)(I/c)

कार्या. प्रमुआआ, हैदराबाद

O/o the Pr.CCIT, Hyderabad

## हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं. कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1. हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3. हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4. हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5. हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6. हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7. हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8. द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9. जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण  (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें  (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए ।

## Annual Programme for 2023-24 for use of Hindi

<u>S.NO</u>	<u>DETAILS OF WORK</u>	<u>'A' REGION</u>		<u>'B' REGION</u>		<u>'C' REGION</u>	
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 2. From A to B 3. From A to C  4. From Region A to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	100% 100% 65% 100%	1. From B to A 2. From B to B 3. From B to C  4. From Region B to Offices Individuals in States / UTs of A & B region	90% 90% 55% 90%	1. From C to A 2. From C to B 3. From C to C  4. From Region C to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	55% 55% 55% 55%
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi		100%		100%		100%
3.	Noting in Hindi		75%		50%		30%
4.	Training Programme through Hindi Medium		70%		60%		30%
5.	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers		80%		70%		40%
6.	Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Assistant)		65%		55%		30%
7.	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)		100%		100%		100%
8.	Preparation of Bilingual Training Material		100%		100%		100%
9.	Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital material i.e., Hindi e-books, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from and Regional Languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference books.		50%		50%		50%
10.	Purchase of all electronic equipment including computers having bilingual i.e. Hindi and English working facility.		100%		100%		100%

11. Website bilingual	100%	100%	100%
12. Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual	100%	100%	100%
13. (i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
(% of Offices)			
{II} Inspections of sections at Headquarters.	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
{III} Joint inspections by the officers concerned & those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government.		At least one inspection in a year.	
14. Meetings regarding Official Language			
(A) Hindi Salahakar Samiti	02 meetings in a year		
(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meetings in a year (One meeting in every six months)		
(C) Official Language Implementation Committee.	04 meetings in a year (One meeting in every quarter)		
15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.	100%	100%	100%
16 Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ Undertakings where entire work to be done in Hindi.	40%	30%	20%

(Minimum Sections)

40% in 'A' Region, 25% in 'B' Region and 15% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/ Corporations where there is no concept of sections.